उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-02/2021-22

सरकार

बनाम्

मो0 समीम खान एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक	
22/01/22	समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन के बाद भी विपक्षी के अनुपस्थिति के कारण एक पक्षीय आदेश हेतु निर्धारित किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–2153/अप0शा0 दिनांक–10.06.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। मामला महागामा थाना काण्ड संख्या–18/2015 दिनांक–08.02.2015 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने धारा–414/120बी0 भा0द0वि0 एवं 4/21 एम0एम0आर0डी0 एक्ट के तहत जप्त वाहन 1. ट्रक निबंधन सं0–BR12A-6465 एवं 2. ट्रक निबंधन सं0–WB15A-2266 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन में अंकित है कि वादी पु0अ0नि0 पास्कल टोप्पो, थाना प्रभारी, महागामा थाना, जिला–गोड्डा के स्व–लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक निबंधन सं0–WB15A-2266 के चालक सुभाष गोस्वामी उर्फ कारू गोस्वामी, पे0–स्व0 महावीर गोस्वामी, सा0–पक्की सराय, थाना–घोघा(कहलगाँव), जिला–भागलपुर, 2. मुंशी, मो0 निहाल, पे0–स्व0 मो0 जलील, सा0–बबुरा, थाना–धोरैया, जिला–वांका, 3. ट्रक निबंधन सं0–WB15A-2266 के मालिक मो0 समीम खान, सा0+थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, 4. ट्रक निबंधन सं0–BR12A-6465 का मालिक विक्की चौधरी, सा0+थाना–कहलगाँव, जिला–भागलपुर, 5. ट्रक निबंधन सं0–BR12A-6465 का चालक, 6. ट्रक मालिक पंकज साह, सा0–धोवावे, 7. ट्रक मालिक पारस मंडल, सा0–घोघा, थाना–घोघा, जिला–भागलपुर, 8. ट्रक मालिक नित्यानंद साह, सा0+थाना–नाथनगर, जिला–भागलपुर, 9. अवैध कोयला डिपो संचालक मो0 अजीज, 10. छेदी, 11. मो0 एकराम, 12. मो0 मुर्शिद, 13. मो0 अकबर उर्फ नेमानी, सभी सा0+थाना–हनवारा, जिला–गोड्डा, 14. खोखा यादव, 15. पाले साव, सा0–धोवावे, थाना–सनोखर, जिला–भागलपुर, 16. बमवम सिंह, सा0–धनोखर,

थाना–सनोखर, जिला–भागलपुर एवं 17. मुख्य संचालनकर्त्ता एवं साजिशकर्त्ता विष्णु खेतान, सा0+थाना–कहलगांव, जिला–भागलपुर(विहार) के विरूद्ध कोयला चोरी करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं प्रतिवेदन–05 में इस कांड को धारा–414/120बी0 भा0द0वि0 एवं 4/21 एम0एम0आर0डी0 एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक निबंधन सं0–WB15A-2266 के चालक सुभाष गोस्वामी उर्फ कारू गोस्वामी, 2. मुंशी, मो0 निहाल, 3. ट्रक निबंधन सं0–WB15A-2266 के मालिक मो0 समीम खान, 4. ट्रक निवंधन सं0–BR12A-6465 का मालिक विक्की चौधरी, 5. ट्रक निवंधन सं0–BR12A-6465 का चालक, 6. ट्रक मालिक पंकज साह, 7. ट्रक मालिक पारस मंडल, 8. ट्रक मालिक नित्यानंद साह, 9. अवैध कोयला डिपो संचालक मो0 अजीज, 10. खोखा यादव, 11. पाले साव, 12. बमबम सिंह, 13. मो0 छेदी उर्फ युनूस, 14. मो0 मुर्शिद, 15. मो0 इकराम, 16. मो0 अकबर उर्फ नेमानी एवं 17. विष्णु खेतान के विरूद्ध सत्य पाया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के द्वारा जप्त वाहन 1. ट्रक निबंधन सं0–BR12A-6465 एवं 2. ट्रक निबंधन सं0–WB15A-2266 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विपक्षी को समाचार पत्र के माध्यम से सूचना देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा से स्पष्ट है कि जप्त वाहन 1. ट्रक निबंधन सं0–BR12A-6465 एवं 2. ट्रक निबंधन सं0–WB15A-2266 के द्वारा कोयला चोरी करने के आरोप में काण्ड अंकित किया गया है एवं जाँच में कोयला चोरी के आरोप को सत्य पाया गया है।

अतः जप्त वाहन 1. ट्रक निबंधन सं0–BR12A-6465 एवं 2. ट्रक निबंधन सं0–WB15A-2266 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/01/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

22/01/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

DB No–03
22.01.22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:04:31 +05:30
Location: 192.168.29.8